राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–937/2007/भरतपुर

मै0 एस्सार प्रोजेक्ट लि0 भरतपुर ...अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अलवर ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के. बैद
उप राजकीय अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.12.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 28.12.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त वर्क्स टैक्स एण्ड लीजिंग टैक्स वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 29(3) के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 के लिए पारित आदेश दिनांक 03.02.2006 के जरिये कायम की गयी मांग राशियां टर्नओवर टैक्स रूपये 54,000/– तथा धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 500/– व ब्याज रूपये 17,145/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखते हुए व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सिविल कान्ट्रेक्टर हैं तथा कर निर्धारण अवधि 2003–04 के दौरान Exemption Scheme 29.03.2001 के अन्तर्गत 2.25% E.C. fee का विकल्प लिया हुआ था। कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि व्यवसायी की प्राप्तियां Water Supply Project की है जिस पर 2.25% करारोपण E.C. स्लेब के अनुसार किया व साथ ही पाया कि व्यवसायी का टर्नओवर, टर्नओवर टैक्स की परिधि में आता है जिसके लिए व्यवसायी ने टर्नओवर टैक्स option का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक 26.07.2003 को प्रस्तुत किया है परन्तु टर्नओवर टैक्स जमा नहीं कराया है। कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 03.02.2006 द्वारा राशि रूपये 54,000/– टर्नओवर टैक्स व 17,145/– रूपये ब्याज व धारा 61 के तहत शास्ति राशि रूपये 500/– किया। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपरोक्त मांग के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर अपील अस्वीकार की गई।

लगातार............2

3. प्रकरण में अपीलार्थी का अपील में मुख्य आधार यह है कि अपीलार्थी द्वारा कर के एवज में कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जाने के कारण व्यवसायी का टर्नओवर टैक्स का दायित्व नहीं बनता।

इस खण्डपीठ की विनम्र राय के अनुसार वर्क्स कान्ट्रेक्ट के लिए देय बिक्री कर के स्थान पर E.C fee की अधिसूचना संख्या 2001–25 दिनांक 29.03.2001 अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत जारी होने से वर्क्स कान्ट्रेक्ट की प्राप्तियां अधिनियम की धारा 2(18) के तहत कर मुक्त माल (Exempted - goods) की श्रेणी में आने के कारण अधिनियम की धारा 13-A(2)(i) के अनुसार टर्नओवर पर देय नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एस.बी. सिविल (सेल्स टैक्स) रिवीजन सं. 412, 413/2004 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम सनसिटी ट्रेड एजेन्सी (2005) 4 वैट रिपोर्टर 274 में पारित अभिनिर्णय के प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी व्यवहारी का आलौच्य अवधि का समस्त टर्नओवर, EC से आच्छादित होने के कारण इस पर टर्नओवर टैक्स का दायित्व नहीं बनता। माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील सं. 21/2008/बाड़मेर वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्य संविदा व पट्टा कर, जैसलमेर बनाम मै. गौतमचंद दोसी में पारित निर्णय दिनांक 11.05.2009 से भी इसी धारणा की पुष्टि होती है।

4. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाते है।

5. निर्णय सुनाया गया।

(नैथूराम)
सदस्य